

2024/79

जि.वि.पि
12.07.2024

फर्द अहकाम
(नियम 15)

आयालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
महेन्द्र सिंह बनाम स्टेट
वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 165 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
------------	---------------------------------	---

02.05.2024 वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 13.05.2024 को पेश हो।

13.05.2024
वकील वादी द्वारा पत्रावली पेश की।
गस्त 13.05.2024 दिनक 10:30 AM को पेश हो।

10.7.2024
वकील वादी द्वारा पत्रावली पेश की।
गस्त 10.7.2024 दिनक 17:20 AM को पेश हो।

17.9.2024
वकील वादी द्वारा पत्रावली पेश की।
गस्त 17.9.2024 दिनक 12:00 PM को पेश हो।

18.11.2024 वकील वादी द्वारा पत्रावली पेश की। यह सुनी गयी। पत्रावली का डावलोकन किया गया। पत्रावली पर उपखण्ड अधिकारी व स्टेट जज के आदेश पर वाद वादी डिफ्री किया जा रहा है। पूर्ण विवरण सहित जि.वि.पि अलग से निषणा जाकर शामिल फाईल किया जाये। पत्रावली तम्बल के क्रम की जाकर वाद लम्बी तकमील जायदा फाईल हफतर हो।

